झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की इकाई)

कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलीहार रोड, मोराबादी, राँची–834008

झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी (JTDS) के निदेशक मंडल की दिनांक 13/09/2023 को 03.30 बजे अपराहन् में प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, JTDS की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. डॉ0 राजीव अरूण एक्का, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार –सह– अध्यक्ष, जे0टी0डी0एस0।
2. श्री नेलसम एयोन बागे, भा0प्र0से0, राज्य परियोजना निदेषक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी –सह– सदस्य सचिव।
3. श्री अजय नाथ झा, भा0प्र0से0, आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार।
4. श्री संजय सिन्हा, भा0प्र0से0, कृषि निदेशक, कृषि विभाग, झारखण्ड।
5. श्री रणेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, (से0नि0), निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान।
6. श्री राहुल सिन्हा, उपायुक्त, राँची।
7. श्री आंजनेयुलू डोडे, भा0प्र0से0, उपायुक्त, दुमका।
8. श्री रविशंकर शुक्ला, भा0प्र0से0, उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ।
9. श्री जीशान कमर, भा0प्र0से0, उपायुक्त, गोड्डा।
10. श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त (उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि)।
11. श्री महावीर बेदिया, अध्यक्ष, ग्राम सभा परियोजना क्रियान्वयन समिति, ग्राम– रंगामाटी, प्रखण्ड – अनगड़ा, जिला– राँची (जनजातीय सदस्य)।
12. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी गजपति, सदस्य, महिला मंडल ग्राम– उलिडीह, प्रखण्ड – तमाड़, जिला– राँची (जनजातीय सदस्य)।

- (क्रम संख्या 06 से 10 तक के सदस्यों द्वारा Video Conferencing के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया)

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश राज्य परियोजना निदेशक को दिया गया।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ सहित अन्य सदस्यों द्वारा विगत निदेशक मंडल की बैठक दिनांक–23.05.2023 में लिए गए निर्णय के अनुपालन की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव एवं चर्चा उपरांत निर्णय :–

एजेंडा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
1.	दिनांक 23.05.2023 को आहूत बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन की सम्पुष्टि।	निदेशक मंडल द्वारा सर्वसमिम्मति से अनुपालित बिन्दुओं की संपुष्टि की गई।
2.	JTDS द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे SCA to TSS एवं CCD योजना क्रियान्वयन पर कार्य प्रगति प्रतिवेदन पर समीक्षा।	क्रियान्वित किये जा रहे परियोजनाओं पर निदेशक मंडल के सदस्यों एवं सभी बैठक में शामिल उपायुक्तों से चर्चा की गई। उपायुक्त सरायकेला–खरसावॉ एवं उप–विकास आयुक्त पुर्वी सिंहभूम ने JTDS द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे Solar Based Irrigation System एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन को संतोषप्रद बताया तथा NABARD की योजनाओं को JTDS के माध्यम से क्रियान्वित कराने का सुझाव दियां। उपायुक्त गोड्डा द्वारा भी उपायुक्त सरायकेला–खरसावॉ के प्रस्ताव के अनुरुप NABARD की योजनाओं का क्रियान्वयन JTDS के माध्यम से कराने का सुझाव दिया गया। उपायुक्त रॉची एवं उपायुक्त दुमका ने भी JTDS के द्वारा किये जा रहे कार्यो पर संतोष व्यक्त किया। प्रधान सचिव सह अध्यक्ष द्वारा कार्ययोजना प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।
3.	मत्स्य विभाग, कृषि विभाग (बागवानी सहित), पशुपालन विभाग तथा मनरेगा से प्रभावी अभिसरण (Convergence) करते हुए 14 TSP जिलों के परियोजना ग्रामों में मत्स्य, कृषि आधारित गतिविधियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन JTDS के माध्यम से कराने के संबंध में।	चर्चा उपरान्त प्रधान सचिव सह अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि 100–150 करोड़ की एक वार्षिक योजना तैयार की जाय जो Tribal Livelihood Improvement से संबंधित हो जिससे JTDS की Sustainability को भी सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही यह भी निदेश दिया गया की राज्य परियोजना निदेशक द्वारा एक बैठक बुलाकर जिसमें आदिवासी कल्याण आयुक्त, निदेशक JTWRI, निदेशक कृषि विभाग, निदेशक पशुपालन विभाग एवं निदेशक मत्स्य विभाग को भी शामिल करते हुए

		आगामी एक वर्ष हेतु योजना एवं बजट प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया जाय।
4.	JTDS के वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	निदेशक मंडल द्वारा वर्ष वितिय 2023–24 के बजट प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।
5.	राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के SCA to TSS/ TD, CCD (PVTG हेतु) एवं Article-275(1) एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना एवं सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु JTDS को नोडल एजेंसी घोषित करने के संबंध में।	निदेशक मंडल द्वारा चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग में उपलब्ध CCD योजना की राशि को JTDS के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाय। साथ SCA to TSS एवं Article 275(1) के अन्तर्गत भी Tribal Livelihood से संबंधित विभाग में उपलब्ध योजनाओं को JTDS के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाय। आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा PVTG हेतु CCD योजना का क्रियान्वयन JTDS के माध्यम से कराने का सुझाव दिया गया। जिसपर निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।
6.	JTDS में कार्यारत कर्मियों के वेतनादि तथा कार्यालयों (14 DPMU's तथा SPMU) के संचालन हेतु विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध करने के संबंध में।	इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 करोड़ के लागत की Livelihood योजनाओं हेतु पुरे वर्ष का योजना प्रस्ताव एवं बजट विभाग को यथाशीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।
7.	JTDS के कर्मियों के वेतनादि एवं कार्यालयों के संचालन हेतु IFAD द्वारा JTDS को प्रदत्त राशि तथा अन्य उपलब्ध राशि को Bank में Fixed Deposit/ Sweep Mode में रखने के संबंध में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
8.	JTDS में कार्यरत कर्मियों का वेतन वृद्धि के संबंध में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
9.	JTDS में देय मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश की पूर्व से प्रावधानित अवधि में संशोधन के संबंध में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
10.	वित्तीय वर्ष 2022–23 के JTDS के बही–खातों का अंकेक्षण के संबंध में।	बही खातों को अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अंकेक्षण प्रतिवेदन माह के अन्त तक विभाग को समर्पित कर दी

		जाएगी।
11.	श्री सुधीर कुजुर, सम्प्रति प्रशासनिक पदाधिकारी, के वेतन विसंगति को दुर करने एवं पदनाम में परिवर्तन के संबधं में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
12.	APD के पदस्थापन के संबंध में। (क) डॉ0 मनोज सिन्हा, अपर परियोजना निदेशक (APD) के पदस्थापन एवं योगदान पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। श्री आशीष आनंद ;पूर्व अपर परियोजना निदेशकद्ध के त्याग पत्र पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में । (ख) डॉ0 मनोज सिन्हा, अपर परियोजना निदेशक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेन्ट सोसाइटी के बकाया वेतन भुगतान, बकाया कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने, अर्जित अवकाश एवं ग्रेच्युटी, नियमित करने, वेतन विसंगति दुर करने एवं लंबित अग्रिम राशि के समायोजन के संबंध में। (ग) डॉ0 मनोज सिन्हा, अपर परियोजना निदेशक को पूर्व में (वर्ष 2018 में) दिये जा रहे स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान को यथावत जारी रखने के संबंध में।	निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अपर परियोजना निदेशक के पद पर डॉ0 मनोज सिन्हा के पदस्थापन एवं योगदान पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया। श्री आशीष आनंद (पूर्व अपर परियोजना निदेशक) के त्याग पत्र पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया। बिन्दु (ख) एवं (ग) पर प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
13.	श्री पंकज कुमार सिंह, वित्त एवं प्रशासन पदाधिकारी (अवकाश पर), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई– पश्चिमी सिंहभुम की सेवा समाप्त करने के संबंध में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह, वित्त एवं प्रशासन पदाधिकारी (अवकाश पर), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई– पश्चिमी सिंहभुम की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निदेश पर निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से घटनोतर स्वीकृति प्रदान किया गया।
14.	श्री केशव किशोर मल्लिक, सम्प्रति जिला परियोजना प्रबंध, डी॰पी॰एम॰यू॰, दुमका की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने की परिस्थिति में एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने के संबंध में।	प्रधान सचिव सह अध्यक्ष JTDS द्वारा निदेश दिया गया कि इस बिन्दु को अलग से संचिका में उनके समक्ष उपस्थापित किया जाय एवं इस बिन्दु पर निदेशक मंडल द्वारा प्रधान सचिव सह अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मिति से अधिकृत किया गया।
15.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से।	

अंत में अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ निदेशक मंडल के धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

15/9/2023

(नेलसम एयोन बागे, भा0प्र0से0)
राज्य परियोजना निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल

21.9.23

(डॉ0 राजीव अरूण एक्का, भा0प्र0से0)
सरकार के प्रधान सचिव,
अनु0ज0जाति, अनु0जाति, अल्पसंख्यक
एवं पि0वर्ग कल्याण विभाग झाखण्ड
सरकार –सह– अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस.
निदेशक मंडल

ज्ञापांक JTDS/839/2023/140 राँची, दिनांक 21/9/2023

प्रतिलिपि : सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9/2023

(नेलसम एयोन बागे, भा0प्र0से0)
राज्य परियोजना निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल